(३)

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक / निग./0011/2019/छिन्दवाड़ा/अ90

पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक : राजेश राय आत्मज स्व. चन्द्रभान राय, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी– छोटा तालाब के पास छिन्दवाड़ा, तह. व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

विरूद्ध

उत्तरार्थी/आवेदक : गणेश प्रसाद अग्रवाल पिता स्व. तुलसीराम अग्रवाल, निवासी– गणेश चौक छिन्दवाड़ा, तह. व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

आज दिनांक 29/12/18 को प्रस्तुत

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर संभाग जबलपुर द्वारा राजस्व अपील कमांक– 512/अ–70/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 12.11.2018 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करत है :–

तथ्य

1. यह कि, अनावेदक/पुनरीक्षणकर्ता छोटा तालाब के पास छिन्दवाड़ा, तह. व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का स्थायी निवासी है ।

2. यह कि, उत्तरार्थी के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 250 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत वास्ते अनावेदक/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उत्तरार्थी/आवेदक की भूमि पर अवैध कब्जे को वापस दिलाये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया था । जिसे विचारणीय न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के तर्क के उपरांत तहसीलदार महोदय द्वारा अनावेदक के पक्ष में एवं पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध आदेश पारित किया था । उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी । उक्त अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अधीनस्थ

XIX(a)-BR (H)-10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक . . . .

राजेश राठौर विरुद्ध शान्ता प्रसाद

तहसील . . . . जिला छिन्दवाड़ा

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. . . . . जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. . . . .

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. . . . . .तहसील का प्रकरण क्रमांक. . . . .

वाद का विषय . . . .

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है . . . .

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला . . . . के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. . . . . के विरुद्ध श्री . . . . के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/नहीं है/मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/. . . . . .रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं / नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है / नहीं दिया है। प्रस्तुतकार	[signature] [signature] 28-12-18
28/11/18 जबलपुर	आवेदक के अभि० श्री – आर. एस. [illegible] द्वारा प्रकरण सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु मूल दस्तावेज प्राप्त किये। प्रकरण इस न्यायालय से समाप्त किया जाता है। [signature] सदस्य	

[पीछे देखिये